

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाइन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक : एफ ११(१२५)/ओबीसी/नगारची-दमामी/आरएण्डपी/सान्याअवि/२०१३/४८६५ जयपुर दिनांक २२-०६-१४

स्पष्टीकरण परिपत्र

मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या ३२/२०१८ दिनांक २६.०२.२०१८ की अनुपालना में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ ११(१२५) ओबीसी/नगारची-दमामी/आरएण्डपी/सान्याअवि/२०१३/२३३७८ जयपुर-दिनांक २७.०३.२०१८ द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में क्रम संख्या ५६ पर वर्तमान में प्रविष्टी नगारची-दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम) के स्थान पर नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) [[इन्ही उपजातीय व अन्य उपजातीय वर्ग नामों से पहचान रखने वाले ढोली जाति/वर्ग के लोगों को छोड़कर]] तथा इन सभी वर्गों के गैर हिन्दू धर्मावलम्बी (जिसमें मुस्लिम धर्मावलम्बी भी सम्मिलित है)] को सम्मिलित किया गया है।

उक्त मंत्रीमण्डल आज्ञा एवं अधिसूचना के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित ढोली जाति के कुछ व्यक्ति जो अपनी उपजातीयों के रूप में नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) का उपयोग करते हैं, को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जाति वर्गों के व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न पत्र, परिपत्रों एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड नगरपालिका रिकार्ड, पंचायत रिकार्ड, या शैक्षणिक रिकार्ड आदि से आवेदक की जाति की पुष्टि की जा सकती है।

दूसरा यदि ढोली जाति के व्यक्ति अपनी उपजाति के रूप में नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) का उपयोग करते हैं तथा इस बात का कोई साक्ष्य/सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि उनकी मूल जाति तो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित ढोली जाति ही है परन्तु उपजाति के रूप में वे नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) जाने पहचाने जाते हैं तो उन्हें केवल मात्र इस आधार पर ढोली जाति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने से इकार नहीं किया जा सकता है कि अन्य वर्ग भी जो ढोली जाति व इन्हीं की उपजातीयों से संबंधित नहीं हैं और नगारची, दमामी, राणा बायती (बारोट) का नाम अपनी जाति के रूप में प्रयोग करते हैं व उक्त नामों से ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है।

अतः समस्त राक्षम प्राधिकारियों को निर्देशीत किया जाता है कि तदनुसार ढोली जाति की उपजातीय व अन्य उपजातीय वर्ग जैसे नगारची, दमामी, राणा, बायती (बारोट) के नाम से जाने जाते हैं तथा राजस्व रिकार्ड / अन्य रिकार्ड में इस तरह का उल्लेख मिलता है तो आवेदन करने पर ढोली जाति की अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही करावें।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

४८६०-८६०

क्रमांक : एफ ११(१२५)/ओबीसी / नगारची—दमामी/आरएण्डपी/सान्याअवि/२०१३/ निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जयपुर दिनांक २२.०६.१८

१. प्रमुख सचिव, महानाहिन राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
२. प्रमुख शासन सचिव, / सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
३. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
४. समस्त मंत्री/ राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
५. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
६. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
७. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
८. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
९. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर।
१०. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
११. सचिव, राजस्थान अधिनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
१२. समस्त विभागाध्यक्ष।
१३. सयुक्त निदेशक(सिस्टम एनालिस्ट)सूचना प्रौद्योगिक और संचार विभाग योजना भवन जयपुर।
१४. समस्त जिला कलक्टर।
१५. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
१६. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।
१७. समस्त जिलाधिकारी, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
१८. ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित कोई ई-मेल कराने हेतु
१९. गार्ड फाईल।

(डॉ.समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव